

रिसचं और अन्य खर्च एमआरपी में शामिल हैं, तो दवाएं असली लागत से 400 गुना ज्यादा कीमत पर बेचने की अनुमति क्यों है? भाटी ने कहा कि भारत में दवाएं दुनिया में सबसे सस्ती हैं, इसलिए विदेश से भी लोग इलाज करने आते हैं। मेहता ने तर्क दिया कि ज्यादा ड्रग मार्फिन से दवाएं दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचती हैं। कोर्ट ने कहा कि छद्म के तहत मंजू्र दवाएं मरीजों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है। असली मुद्दा यह है कि दवाओं की कीमतें तय की जाएं। केंद्र ने कहा कि नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं की शुरूआती कीमत तय करने की आजादी निर्माताओं के पास होती है, लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा उन्हें मनमानी कीमतें तय करने से रोकती है। सरकार ने बताया कि नेपाल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इन दवाओं की स्क्रूब पर नजर रखता है। कोर्ट निर्माता 12 महीने में दवा की कीमत 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता।